**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1620/2021

1. जितेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री किशोरलाल पारीक, आयु लगभग 31 वर्ष, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, वार्ड संख्या 25, नोहर, जिला हनुमानगढ़ के निवासी।

2. शशि कांत गौड़ पुत्र श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, लगभग 27 वर्ष की आयु, निभेड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के निवासी।

3. पूजा शर्मा पुत्री श्री राधेश्याम शर्मा, लगभग 35 वर्ष की आयु, मोतीपुरा बास, भादरा, हनुमानगढ़ की निवासी।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान द्वारा से।

2. सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

---

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री विकास बिजारनिया

उत्तरदाता(गण) के लिए : श्री दीपक चंडक

---

**माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा**

**<u>आदेश (मौखिक)</u>**

**<u>02/01/2024</u>**

1. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रतिवादी, उपयुक्त रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करते हैं

जिसमें उत्तरदाताओं को आरक्षित सूची में उनकी योग्यता स्थिति के अनुसार खाली पड़े पदों पर उन्हें शिक्षक ग्रेड-III स्तर-II (अंग्रेजी) के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने दिनांक 31.07.2018 के विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन किया था।

2. जैसा कि कहा गया है, पहले स्पष्ट तथ्य।

2.1. सभी जिला परिषदों में जिला स्तर पर शिक्षक ग्रेड-III के पदों के लिए दिनांक 31.07.2018 के एक विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने पात्र होने के नाते, सामान्य श्रेणी में अपना आवेदन पत्र जमा किया था। चयन रीट/आर. टी. ई. टी. परीक्षा और स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था।

2.2. परिणाम 03.09.2018 पर घोषित किया गया था और विभिन्न श्रेणियों के लिए श्रेणी-वार कट ऑफ अंक घोषित करने वाली पहली विषय-वार अनंतिम चयन सूची जारी की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने क्रमशः 66.782 अंक और 66.75 अंक प्राप्त किए और उन्हें आरक्षित सूची में दिखाया गया।

2.4 याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि अंतिम मुख्य सूची समाप्त होने के बाद रिक्त पड़े पदों के बावजूद, प्रतिवादी ने आरक्षित सूची का संचालन नहीं किया, जिससे योग्य उम्मीदवारों को प्रदर्शन का लाभ नहीं मिला।इसलिए, वर्तमान रिट याचिका है।

3. प्रतिवादियों द्वारा दाखिल विवरणी में, उन्होंने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि आरक्षित सूची के संचालन के बाद भी सामान्य श्रेणी में कट ऑफ अंक 66.789% हैं। याचिकाकर्ता नं. 1, 2 और 3 ने क्रमशः 66.782,66.75 और 66.77% अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को कट ऑफ अंक से कम अंक मिले। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख का विरोध करते हुए आगे कोई शपथ पत्र/प्रत्युत्तर दायर नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है, जो संबंधित दलीलों की तर्ज पर हैं।

5. अभिलेख दर्शाता है कि प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद, जिला परिषद/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा (मुख्यालय) से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने 08.02.2020 पर स्तर-II अंग्रेजी से संबंधित 506

रिक्त पदों को दर्शाया है। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में मामले में एक संपार्श्विक रिट कार्यवाही, कुलदीप कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (SBCWP No.2049/2019) के साथ-साथ अन्य 16 जुड़े मामलों में, राज्य ने आरक्षित/प्रतीक्षा सूची के अनुसार रिक्त पद को भरने के लिए दिनांक 18.12.2020 को एक पत्र जारी किया। इसके अनुपालन में, विभाग ने स्तर-II अंग्रेजी से संबंधित 11.01.2021 पर श्रेणीवार आरक्षित सूची का संचालन किया और उम्मीदवारों का अस्थायी रूप से चयन किया गया और दिनांक 18.01.2021 के एक आदेश के माध्यम से जिलों को आवंटित किया गया।

6. प्रतिवादी की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 506 रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा/आरक्षित सूची का विधिवत संचालन किया। इसके अनुसार, एसटी और सेहरिया को छोड़कर सभी संबंधित श्रेणियों में रिक्त सीटों को भरा गया है। उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, अनुसूचित जनजाति और सहरिया श्रेणियों में 152 पद खाली रहे। स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं और उक्त श्रेणी में कोई भी पद प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के संचालन के बाद खाली नहीं है। इस प्रकार मैं उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्त करने के उनके दावे में कोई योग्यता नहीं पाता, केवल इसलिए कि अन्य श्रेणियों में पद खाली हैं जिनमें वे विचार किए जाने के योग्य हैं/नहीं थे।

7. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि प्रतीक्षा सूची पर न केवल उचित कार्रवाई की गई है, बल्कि वह समाप्त हो गई है और सफल उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।

8. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, उनको भी निस्तारित माना जाएगा।

**(अरुण मोंगा), जे.**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।